न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00458

1. महावीर पुत्र रामचन्द्र जाति माली ।
2. सीताराम पुत्र रामचन्द्र जाति माली ।
3. उषा पुत्री रामचन्द्र जाति माली ।
4. हेमलता पुत्री रामचन्द्र जाति माली ।
5. धापू पुत्री रामचन्द्र जाति माली ।
6. हीना पुत्री रामचन्द्र जाति माली ।
7. भगवती पुत्री रामचन्द्र जाति माली ।
8. सोनी पुत्री रामचन्द्र जाति माली ।
9. भूली बाई पत्नी रामचन्द्र जाति माली निवासीगण ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रघुनाथ जाति राव ।
2. सुरेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति राव निवासीगण मोती नगर चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
3. श्री चन्द्रशेख कक्कड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम चेचट उप तहसील चेचट में कुल 03 किता की रकबा 0.48 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के पास ही अप्रार्थी क्रम 01 के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1078 रकबा 0.14 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1081 की रकबा 0.47 कुल 02 किता की रकबा 0.61 हैक्टर भूमि स्थित है । अप्रार्थीगण आपस में पिता–पुत्र हैं उनके खेत के पास ही खातेदार नन्दा आत्मज माधो जाति माली द्वारा प्लानिंग से भूमि के प्लाट काट रखे हैं इन प्लानिंग के भूमि में रास्ते में 2–3 रास्तों से अप्रार्थी अपने खेत में आता है । इन्हीं रास्तों से अप्रार्थीगण उनके खाते की उक्त आराजी में आते–जाते रहे हैं । अप्रार्थीगण ने गत 3–4 माह पूर्व पुलिस से सांठ–गांठ करके राठौडी में ग्राम पंचायत के सरपंच साहब से मिलकर बिना किसी कानूनी कार्यवाही के पुलिस के दम पर प्रार्थी के खेत में से होकर निकलने का प्रयास किया व जबरन कोट तोडकर फसल निकाल ली मना किया तो पुलिस ने थाने में बन्द करने की धमकी दी । अप्रार्थीगण के खेत में जाने का रास्ता प्रार्थी के खेत में होकर कभी भी नहीं रहा है । राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थीगण के खेत में होकर अप्रार्थीगण का कोई रास्ता किसी भी मेड पर नहीं है । अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण के खेत में होकर नया रास्ता कायम करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथीगर्ण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद प्रार्थीगण के खाते की आराजी कुल 03 किता की 0.48 हैक्टर के किसी भी हिस्से से खेत में प्रावेश नहीं करे और न ही कोई नया रास्ता कायम करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.10.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2019 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं जिन्हें अपने खाते की भूमि की सुरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है । उक्त कानूनी पोजिशन रिकॉर्ड पर होने के बाद भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में लक्ष्मण माली, प्रेमचन्द, श्यामसिंह के शपथ पत्र भी पेश किये हैं । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि नया रास्ता धारा 251 (ए) में बताये गये अनुसार डबल डीएलसी रेट पर दिया जा सकता है । पटवारी के नक्शे व अन्य रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट का कोई रास्ता अपीलान्टगण के खेत में होकर नहीं है । अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट का माना है और सुविधा का संतुलन रेस्पोडेन्ट के पक्ष में मानने में त्रुटि की है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार धारा 251 (ए) के तहत रास्ता डीएलसी की दोगुनी दर लेकर ही कायम किया जा सकता है परन्तु इन प्रावधानों पर गौर नहीं कर प्रार्थना पत्र खारिज किया है । पटवारी से मौका रिपोर्ट नहीं मंगवायी गई है । यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत में से होकर रास्ता कायम करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 अपास्त किया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि वादग्रस्त रास्ता रेस्पोडेन्ट का पुश्तों से प्रचलित रास्ता है, उस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता रेस्पोडेन्ट के खेत पर जाने का नहीं है। रेस्पोडेन्ट को इसके बाबत् सुखाधिकार प्राप्त है । इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता रेस्पोडेन्ट के पास नहीं है । रास्ते के खुलासे का निर्णय ग्राम पचांयत के द्वारा दिनांक 05.01.2019 को ले लिया गया है जिसकी पालना तहसीलदार, रामगंजमण्डी के द्वारा करवा दी गई है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा यह कथन करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया कि अप्रार्थीगण ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलकर बिना कानूनी कार्यवाही के पुलिस के दम पर प्रार्थी के खेत में से होकर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और पंचायत ने दिनांक 07.01.2019 को एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्रार्थीगण के खेत में से रास्ता देने का निर्णय पारित किया है । अप्रार्थीगण के खेत में जाने का रास्ता प्रार्थीगण के खेत में से होकर कभी नहीं रहा है । इस प्रकार प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 07.01.2019 को जो रास्ता कायम किया गया है उससे प्रार्थी अपीलान्ट को अप्रसन्नता है । यदि ग्राम पंचायत के द्वारा कायम किये गये रास्ते से प्रार्थी अपीलान्ट को अप्रसन्नता है तो उन्हें नियमानुसार इस निर्णय के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील पेश करनी चाहिए न कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप

से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा